प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक-27-03-2025

विषयः- केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पी0जी0 की 21 सीटों की वृद्धि फेज-।। के अंतर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-एमई/बजट /2024-25/508, दिनांक 23.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पी0जी0 की 21 सीटों की वृद्धि फेज-।। के अंतर्गत केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के संख्या-U.14017/146/2019-ME-II/ 8035777, दिनांक 25 अगस्त, 2022 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना (केन्द्रांश-60 प्रतिशत/राज्यांश-40 प्रतिशत) के अंतर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में पी0जी0 कोर्स फेज-।। के अंतर्गत संस्थान में 21 सीट की वृद्धि रू0 2520.00 लाख की परियोजना पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस क्रम में भारत सरकार के पत्र संख्या- U.14017/31/2016-ME-II/FTS-3074602, दिनांक 21.03.2023 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु केन्द्रांश के रूप में धनराशि रू0 605.00 लाख अवमुक्त की गयी है।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत पी0जी0 की 21 सीटों की वृद्धि फेज-।। के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2520.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि रू0 605.00 लाख (रूपये छः करोड़ पॉच लाख मात्र) तथा उसके संगत राज्यांश के रूप में रू0 403.00 लाख (रूपये चार करोड़ तीन लाख मात्र) अर्थात कुल रू0 1008.00 लाख (रूपये दस करोड़ आठ लाख मात्र) की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से संस्थान के एस0एन0ए0 खाते में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेग।
4. विशिष्टयों के अनुरूप समयबद्व रूप से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रस्तावित समस्त कार्यो की गुणवत्ता व आडिट की जिम्मेदारी कार्य कराने वाले संस्था प्रमुख एवं कार्यदायी संस्था की होगी।
5. निदेशक एवं कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
7. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।
8. निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 6,05,00,000 (रुपये छह करोड़ पाँच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि (के.60-रा.40/के.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 4,03,00,000 (रुपये चार करोड़ तीन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031058927 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.जी. पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-3-482-X-2024-25-दिनांक:21-3-2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-40/2025/I/919065/2025/001-71-2002-002-2-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. अनु सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-U. 14017/31/ 2016-ME-II/FTS-3074602, दिनांक 21.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थाथन, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।